

सं०- 16/बी१.-36/2017-
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

सचिवदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय :- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-103 यूनानी-0001 तिब्बी कॉलेज पटना, विपत्र कोड- 20-2210051030001 एवं मांग संख्या - 20 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के विभिन्न इकाईयों में तृतीय अनुपूरक से उपबंधित राशि कुल 54,70,000/- (चौवन लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए कुल 54,70,000/- (चौवन लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश से वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.4.1998 एवं राज्यादेश संख्या-428/वि० दिनांक 31.03.2017 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3002/वि० दिनांक-26.4.2017 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं० 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-103 यूनानी-0001 तिब्बी कॉलेज पटना, विपत्र कोड- 20-2210051030001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध से की जाएगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक 12.02.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करवाए हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. अनुसंधान एवं मरम्मत मद में उपबंधित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उसमें निहित शर्त के अनुसार किया जायेगा।

11. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह फरवरी 2018 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायगा।

12. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से पूर्व में निर्गत आवंटन के अतिरिक्त यह आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव

/पटना, दिनांक - 19.03.2018

ज्ञाप सं०-

52 'ब' आ. प्रि.

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव

अ/

0001 तिब्बी कॉलेज, वित्तीय वर्ष 2017-18

विवरण

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	तृतीय अनुपूरक की राशि	कुल उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वेतन	01 01	32994000	4387000	37381000	32994000	4387000	37381000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	43065000	226000	43291000	43065000	226000	43291000	0
3	मकान किराया भत्ता	01 04	9944000	702000	10646000	9944000	702000	10646000	0
4	परिवहन भत्ता	01 05	650000	124000	774000	650000	124000	774000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	178000	31000	209000	178000	31000	209000	0
6	अन्य भत्ता	01 07	50000	0	50000	50000	0	50000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		86881000	5470000	92351000	86881000	5470000	92351000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	200000	0	200000	200000	0	200000	0
8	यात्रा व्यय	11 01	200000	0	200000	200000	0	200000	0
9	कार्यालय व्यय	13 01	1500000	0	1500000	1500000	0	1500000	0
10	दूरभाष	13 03	100000	0	100000	100000	0	100000	0
11	विद्युत प्रभार	13 04	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0
12	विधि प्रभार	13 05	50000	0	50000	50000	0	50000	0
13	वर्दी पोशाक	13 06	100000	0	100000	100000	0	100000	0
14	किराया म0 एवं कर	14 01	500000	0	500000	500000	0	500000	0
15	प्रशिक्षण व्यय	20 03	30000	0	30000	30000	0	30000	0
16	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	3500000	0	3500000	3500000	0	3500000	0
17	दवा भंडार	21 02	10000000	0	10000000	10000000	0	10000000	0
18	आहार/पथ्य	21 03	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000	0
19	लघु कार्य	27 01	10000000	0	10000000	10000000	0	10000000	0
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत	27 02	5000000	0	5000000	5000000	0	5000000	0
21	व्यवसायिक एवं विशेष सेवा	28 01	0	0	0	0	0	0	0
22	संविदा सेवाएँ	28 02	20000000	0	20000000	20000000	0	20000000	0
23	छात्रवृत्ति / वजीफा	34 01	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0
24	मशीन एवं उपस्कर	52 01	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000	0
	योग		149061000	5470000	154531000	149061000	5470000	154531000	0

(चौवन लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र

52 'ब' आ. चि.
19.03.2018

सरकार के विशेष सचिव
AM

19/3/18